

# कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रोंक:- 4324/मु0 अ0(अनु0)/अनु0प्रको0/विविध

लखनऊ: दिनांक : 04 दिसम्बर  
नवम्बर, 2017

## कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र सं0 104 एम-आई/सत्ताईस-1-2017-100/17 दिनांक 01.12.2017 के अनुसार शासन के संज्ञान में आया है कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्तागण/अन्य अभियन्तागण अपनी तैनाती स्थल पर प्रवास नहीं कर रहे हैं तथा उनके लैण्डलाइन टेलीफोन रिंग करने पर नहीं उठते हैं अथवा खराब स्थिति में हैं। इससे जहाँ एक ओर जनता की समस्याओं का निदान त्वरित गति से नहीं हो पाता है, वही दूसरी ओर शासन की छवि भी खराब होती है। यह स्थिति नितान्त असंतोषजनक है।

अतः उपरोक्त शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि सभी अभियन्तागण अपने-अपने मुख्यालय में रात्रि प्रवास करे तथा लैण्डलाइन दूरभाष को चालू स्थिति में रखना सुनिश्चित करें।


भूपेन्द्र शर्मा  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रोंक: 4324/मु0 अ0(अनु0)/अनु0प्रको0/विविध/तादिनांक: 04-12-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
  2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
  3. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
  4. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
  5. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप अपने स्तर से अपने अधिनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
  6. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
  7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,.....।
- संलग्न- शा0 पत्र सं0 104 दिनांक 01.12.2017 की प्रति।

CE(WR)/ISO/Design/Date



(भूपेन्द्र शर्मा)  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

मु0अ0, स्तर-1(परि0 एवं शोध)  
5/12

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11 B 96 / शासन  
प्रमुख अभि० (सिंचाई)  
दिनांक 11/12/2017

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 01 दिसम्बर, 2017

विषय:- अधिशासी अभियन्तागण/अन्य अभियन्तागण द्वारा तैनाती स्थल पर रात्रि प्रवास करने तथा अपने लैण्डलाइन दूरभाष को चालू स्थिति में रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्तागण/अन्य अभियन्तागण अपनी तैनाती स्थल पर प्रवास नहीं कर रहे हैं तथा उनके लैण्डलाइन टेलीफोन रिंग करने पर नहीं उठते हैं अथवा खराब स्थिति में हैं। इससे जहाँ एक ओर जनता की समस्याओं का निदान त्वरित गति से नहीं हो पाता है, वही दूसरी ओर शासन की छवि भी खराब होती है। यह स्थिति नितान्त असंतोषजनक है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के सभी अभियन्तागण को मुख्यालय पर रात्रि में प्रवास करने तथा लैण्डलाइन दूरभाष चालू स्थिति में रखने हेतु सभी अभियन्तागण को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेशों का प्रभावी/कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)  
प्रमुख सचिव।

SE(M)

तदनुसार कार्यवाही करें।

11/12/17

सुरेश चन्द्रा (सिंचाई विभाग)

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

11/12/17